

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(राजस्व शाखा)

(अनापति प्रमाण पत्र)

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर चाईबासा के पत्रांक-685/रा0, दिनांक-01.09.2017 के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें 220 KV D/C उलीझरी, चाईबासा से गुवा Transmission line का क्रियान्वयन हेतु जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) का अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, अंचल अधिकारी, टोंटो, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर चाईबासा, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर चाईबासा एवं अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का अनुशंसा प्राप्त है। उक्त के आलोक में झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड (JUSNL), ट्रांसमिशन डिविजन, चाईबासा के लिए जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) का अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु भूमि की विवरणी निम्नांकित है:-

जंगल (Deemed Forest) रकवा (एकड़ एवं हेक्टेयर) में।

क्र०	अंचल का नाम	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (हेक्टेयर में)	रकवा (एकड़ में)	भूमि के प्रकार	किस्म
1	टोंटो	चलगी	594	2	1181	0.424	1.048	अनाबाद मालिक	जंगल
2		चलगी	594	2	1230	0.524	1.295	अनाबाद मालिक	जंगल
3		चलगी	594	2	1882	1.206	2.980	अनाबाद मालिक	जंगल
4		चलगी	594	2	1610	0.644	1.591	अनाबाद मालिक	जंगल
5		दोकटा	592	1	748	0.879	2.172	अनाबाद मालिक	जंगल
6		दोकटा	592	1	748	0.172	0.425	अनाबाद मालिक	जंगल
7		दोकटा	592	1	748	0.012	0.030	अनाबाद मालिक	जंगल
8		दाउदुंगा	617	1	896	0.577	1.426	अनाबाद मालिक	जंगल
9		दाउदुंगा	617	1	1272	0.835	2.063	अनाबाद मालिक	जंगल
10		दाउदुंगा	617	1	1274	1.243	3.071	अनाबाद मालिक	जंगल
11		बुरुसिरींगसिया	610	2	737	0.115	0.284	अनाबाद मालिक	जंगल
12		बुरुसिरींगसिया	610	1	794	0.021	0.052	अनाबाद मालिक	जंगल
13		बुरुसिरींगसिया	610	1	815	0.257	0.635	अनाबाद मालिक	जंगल
		कुल				6.909 Hec.	17.073 Acre		

जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि कुल 6.909 हेक्टेयर (17.073 एकड़) में सन्निहित है। सर्वे खतियान में अनाबाद मालिक किस्म जमीन जंगल दर्ज है। अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन भूमि से बाहर है के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक 2306(B) /रा0, दिनांक 12.09.17

प्रतिलिपि- Electrical Excutive Engineer, Transmission Division, Chaibasa को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान/चाईबासा का सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आयुक्त, सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा का सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची का सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

1	अनाबाद	594	2	1882	1.295	2.94	अनाबाद	उत्तर
2	अनाबाद	594	2	1810			अनाबाद	उत्तर
3	अनाबाद	592	1	746	0.879	2.172	अनाबाद	उत्तर
4	अनाबाद	592	1	746	0.172	0.425	अनाबाद	उत्तर
5	अनाबाद	592	1	746	0.012	0.039	अनाबाद	उत्तर
6	अनाबाद	617	1	896	0.577	1.425	अनाबाद	उत्तर
7	अनाबाद	617	1	1272	0.835	2.083	अनाबाद	उत्तर
8	अनाबाद	617	1	1274	1.243	3.071	अनाबाद	उत्तर
9	अनाबाद	618	2	737	0.115	0.154	अनाबाद	उत्तर
10	अनाबाद	618	1	794	0.021	0.052	अनाबाद	उत्तर
11	अनाबाद	618	1	815	0.257	0.635	अनाबाद	उत्तर
12	कुल				17.073			

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
(राजस्व शाखा)
(अनापति प्रमाण पत्र)

अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर के पत्रांक-405/सा0, दिनांक-24.08.2017 के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें 220 KV D/C उलीझरी, चाईबासा से गुवा Transmission line का क्रियान्वयन हेतु जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) का अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी, अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जगन्नाथपुर एवं अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का अनुशंसा प्राप्त है। उक्त के आलोक में झारखण्ड उर्जा संचार निगम लिमिटेड (JUSNL), ट्रांसमिशन डिविजन, चाईबासा के लिए जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) का अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु भूमि की विवरणी निम्नांकित है:-

जंगल (Deemed Forest) रकवा (एकड़ एवं हेक्टेयर) में।

क्र०	अंचल का नाम	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (हेक्टेयर में)	रकवा (एकड़ में)	भूमि के प्रकार	किस्म
1	नोवामुण्डी	दुधबिला	752	2	2329	0.790	1.952	गैर मजरूवा खास	जंगल
2		दुधबिला	752	2	492	0.465	1.149	गैर मजरूवा खास	जंगल
3		दुधबिला	752	2	514	0.118	0.292	गैर मजरूवा खास	जंगल
4		सिलपुंजी	771	2	58	0.439	1.085	गैर मजरूवा खास	जंगल
5		सिलपुंजी	771	2	119	1.245	3.076	गैर मजरूवा खास	जंगल
6		खासजा मदा	772	2	548	0.572	1.413	गैर मजरूवा खास	जंगल
7		खासजा मदा	772	2	546	1.110	2.743	गैर मजरूवा खास	जंगल
8		बोकना	775	1	2	0.126	0.311	गैर मजरूवा खास	जंगल
कुलयोग						4.865 (Ha)	12.021 (Acre)		
जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि कुल 1,005 हेक्टेयर									

जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि कुल 4.865 हेक्टेयर (12.021 एकड़) सन्निहित है। सर्वे खतियान में गैर मजरूवा खास किस्म जमीन जंगल दर्ज है। अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन भूमि से बाहर है के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

६०/-

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक 23.93(B)/रा0, दिनांक 23.09.17

प्रतिलिपि- Electrical Excutive Engineer, Transmission Division, Chaibasa को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड उर्जा संचार निगम लिमिटेड, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान/चाईबासा का सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आयुक्त, सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा का सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची का सादर सूचनार्थ समर्पित।

(Signature) 23/9/17

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

क्र.	विवरण	क्षेत्रफल (है.)	संख्या	क्षेत्रफल (है.)	संख्या	क्षेत्रफल (है.)	संख्या	क्षेत्रफल (है.)	संख्या
1	दुधबिसा	732	2	232	0.790	1.149	0.790	1.149	0.790
2	दुधबिसा	752	3	492	0.465	1.149	0.465	1.149	0.465
3	दुधबिसा	232	2	314	0.118	0.292	0.118	0.292	0.118
4	सिलपुजी	771	2	58	0.439	1.085	0.439	1.085	0.439
5	सिलपुजी	721	3	114	1.245	3.076	1.245	3.076	1.245
6	खतजा मदा	772	2	548	0.372	1.413	0.372	1.413	0.372
7	खतजा मदा	772	2	546	1.110	2.745	1.110	2.745	1.110
8	शोपना	175	1	2	0.126	0.311	0.126	0.311	0.126
कुल योग					4.865	12.621			
					(Hect)	(Acres)			

नगर-झाडी (Deemed Forest) भूमि कुल 4865 हेक्टेयर (12.021 एकड़) तालिफत है। यह तालिफत के तहत मजसूब खास किसम जमीन जंगल दर्ज है। अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन भूमि से बाहर है के अधीन रहने हेतु भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयास स्तरी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाये। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसमें विविध हस्ताक्षर हेतु प्रयोजन एके-सी द्वारा प्रस्ताव समीक्षा किया जायेगा। नगर-झाडी (Deemed Forest) भूमि के समुल्लेख हस्ताक्षर/जीज कन्टीन्यूइटी हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपबोधन निपट किया जायेगा।

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।